निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /CT-98/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, ऋषिकेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, ऋषिकेश के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री निखिल गोस्वामी व.ले.प. श्री प्रवीण कुमार एवं श्री बृजभूषण मणि त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 31.10.2017 से 08.11.2017 तक श्री हिमांशु मणि लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)**परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रवीण कुमार एवं श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक. 28.08.2016 से 05.09.2016 तक श्री एन.के. सिन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2016 तक एवं व्यय हेतु माह .....-..... से .....-..... के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः –ऋषिकेश, टिहरी तथा उत्तरकाशी का विभाग द्वारा पोषित क्षेत्र।
3. (ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत 3 वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख मे)
2014-15	7344.16
2015-16	10134.89
2016-17	11920.04

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(₹ लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य		बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय			
2014-15	-	-	-	-	18960000	18350763	-	-	609237
2015-16	-	-	-	-	22588000	21456242	-	-	1131758
2016-17	-	-	-	-	28009000	23941296	-	-	4067704

(lI)स केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन बजट आवन्टन नहीं प्राप्त होता है। गैर स्थापना राजस्व संग्रह को सम्मिलित न करते हुए इकाई ..... श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

वित्त सचिव **>** आयुक्त कर**>**अपर आयुक्त (वा.कर)**>** वाणिज्य कर**>** ज्वाइंट कमिश्नर(कार्य)**>** वाणिज्य कर**>** डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर**>** वाणिज्य कर अधिकारी,

4. **(V)** लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, ऋषिकेश को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, ऋषिकेश की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

STAN

STAN-1 आई.टी.सी. रिवर्स न किये जाने से राजस्व क्षति ₹0.12 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6(2) के प्रावधानों के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ जिसके लिये पंजीकृत ब्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनराशि होगी जो कर अवधि के दौरान, ऐसे प्रयोजन हेतु और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि इस धारा में विनिर्दिष्ट है, किये गये क्रय धन पर पंजीकृत ब्यौहारी द्वारा विक्रेता ब्यौहारी को भुगतान किया गया है, और जिसकी गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसी की विहित की जायें।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) वाणिज्य कर, ऋषिकेश के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री भिव गंगा ट्रेडर्स क.नि. वर्ष 2014-15 में प्रांतीय खरीद पर कुल ₹11,30,549/- का आई.टी.सी. (I.T.C) का लाभ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया था। पत्रावली में संलग्न क्रय सूची के जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा ₹11,858/- का आई.टी.सी. का लाभ सर्वश्री Lioyd Electric & Eng Ltd. D.Dun (Tin No- 05006153220) से क्रय करने पर लिया गया था। जबकि उपरोक्त टिन न. को इंटरनेट (Tin-XX5) से जाँच में अन्य व्यापारी का नाम सर्वश्री Leel Electricals Ltd, Rudrapur के नाम से रजिस्टर्ड था।

इस प्रकार उपरोक्त व्यापारी से क्रय करने पर लिया गया आई.टी.सी. ₹11,858/- रिवर्स योग्य था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि Lloyd Electric & Eng Ltd, D.Dun एवं Leel Electricals Ltd Rudrapur एक ही व्यापारी है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं होगा क्योंकि विभाग द्वारा किया गया क्रय invoice में कहीं भी रूद्रपुर का नाम दर्ज नहीं है। एवं विभाग द्वारा आई.टी.सी. का सत्यापन अपेक्षित था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया गया।

<u>भाग-2(ब)</u>

<u>प्रस्तर 01-</u> अर्थदण्ड का अनारोपण 1.49 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58 (1)(Vii) के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर युक्ति युक्त कारण के बिना अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) वाणिज्य कर, ऋषिकेश के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि संलग्न सूची के अनुसार तीन व्यापारियों द्वारा अपना स्वीकृत कर ₹14,90,140/- बिना किसी युक्ति-युक्त कारण के विलम्ब से जमा किया गया था। जिस पर नियमानुसार कम से कम 10 प्रतिशत की दर से ₹1,49,014/- का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि व्यापारियों द्वारा विलम्ब से जमा कर पर ब्याज जमा किया है एवं सर्वश्री त्रिवेणी ग्लास लि. इलाहबाद बनाम द कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स यू.पी. लखनऊ 2009 NTN (VOL-40) -78 एवं सर्व श्री लक्सर राइटिंग इन्सट्रूमेन्ट प्रा. लि. बनाम द कमिश्नर ऑफ ट्रेड टैक्स 2010 (VOL-92)-145 के वाद में माननीय उच्च न्यायलय इलाहबाद द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार ब्याज सहित स्वीकृत कर के विलम्बित जमा पर अर्थदण्ड का आरोपण अविधिक ठहराया है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि व्यापारियों द्वारा विलम्ब से जमा कर पर ब्याज जमा नहीं किया था या किसी में जमा ब्याज जमा किया था वह कम जमा किया गया जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में ब्याज जमा करने का आदेश दिया जबकि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58(1)(Vii) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आदेश पारित नहीं किया।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा आनन्द विशिकोवा बनाम आयुक्त व्यापार कर दिनांक 18.06.2007 के निर्णय के अनुसार यदि ब्याज जमा हो जाता है तो भी अर्थदण्ड आरोपणीय है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाना है।

क्रम	व्यापारी का	क.नि. वर्ष	धनराशि(₹)	निर्धारित	जमा करने	विलम्ब

सं.	नाम			तिथि	की तिथि	शुल्क अर्थदण्ड (₹)
1	मनचन्दा ट्रेडिंग कारपोरेशन	2013-14 2013-14 2013-14	42065(अगस्त) 48528(नवम्बर) 160906(मार्च)	25.09.13 25.12.13 25.04.13	28.09.13 27.12.13 29.04.13	4206/- 4852/- 16090/-
2	गढ़वाल जनरल हाउस	2014-15 2014-15 2014-15	135796(अगस्त) 100187(अक्टूबर) 91080(मार्च)	25.09.14 25.11.14 25.04.14	30.09.14 05.12.14 28.04.14	13579/- 10018/- 9108/-
3	ए टू जेड सेल्स कारपोरेशन	2013-14 2013-14 2013-14 2013-14 2013-14 2013-14 2013-14 2013-14 2013-14 2013-14	137454(अप्रैल) 67421(मई) 107603(जुलाई) 124870(अगस्त) 127313(सितम्बर) 72110(अक्टूबर) 58304(नवम्बर) 34879(दिसम्बर) 61171(जनवरी) 76876(फरवरी) 43644(मार्च)	25.05.13 25.06.13 25.08.13 25.09.13 25.10.13 25.11.13 25.12.13 25.01.14 25.02.14 25.03.14 25.04.14	25.06.13 25.07.13 25.11.13 05.12.13 05.12.13 06.01.14 28.02.14 28.02.14 22.04.14 22.04.14 21.05.14	13745/- 6742/- 10760/- 12487/- 12731/- 7211/- 5830/- 3487/- 6117/- 7687/- 4364/-
					योग	₹149014/-

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
SRG-CT-01/2006-07	2,3	1,2
SRG-CT-10/2008-09	1	2
SRG-CT-34/2009-10	1,2	-
SRG-CT-24/2010-11	2,3	1
SRA-CT-30/2011-12	-	1
RS-CT-05/2012-13	-	1
RS-CT-05/2014-15	-	1
RS-CT-31/2015-16	1,2,3,4	1,2
RS-CT-16/2016-17	-	1,2,3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, ऋषिकेश तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री संजीव सोलंकी	डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) वाणिज्य कर

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, ऋषिकेश को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र